रजिस्ट्री सं डी -(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 232] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2, 1977/आषाढ़ 11 1899
No. 232] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2, 1977/ASADHA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July 1977

G.S.R. 472(E)—The following Order made by the Vice-President acting as President is published for general information:—

C.O. 107

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1977

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the Vice-President acting as President, after considering the recommendations of the Finance Commission and having assessed the net burden on the revenues of the States on account of interest payable on their borrowings and interest receivable on their lendings in the financial year commencing on the 1st day of April, 1974 and each of the four succeeding financial years, hereby makes the following Order, namely—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1977

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Cental Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275 of the Constitution, there shall be charged on the Consolidated Fund of India,—

(a) in the financial year commencing on the 1st day of April, 1977, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified in column (1) of the Table below, for the three successive financial years immediately following the financial year ended on the 31st day of March, 1974, the sum specified against it in column (2) of the said Table; and

(b) in the financial year commencing on the 1st day of April, 1978, as grants-in-aid of the revenues of each of the aforesaid States, for the two successive financial years immediately following the financial year ended on the 31st day of March, 1977, the sum specified against it in column (3) of the said Table.

TABLE

State	Rupees in crores	
(1)	(2)	(3)
Andhra Pradesh	4·41	9·59
Assam	5 38	12·50
Bihar	11·33	24·29
Himachal Pradesh	0·42	0·97
Jammu and Kashmir	7·41	21·91
Kerala	3·58	9·61
Manipur	0·99	1·69
Meghalaya	0·64	1·22
Nagaland	1·02	1·66
Orissa	8·90	13·76
Rajasthan	8 73	17·12
Tripura	0·58	1·23
Uttar Pradesh	8·65	20·55
West Bengal	10·27	22·27

(2) Any sum or sums payable as grants-in-aid of the revenues of the States under sub-paragraph (1) of this paragraph in the financial year commencing on the 1st day of April, 1977, and in the financial year commencing on the 1st day of April, 1978, shall be in addition to the sum or sums payable to the States in each of those financial years in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1974.

B. D. JATTI,
Vice-President acting as President.

[No. F. 19(3)/77-L.I.]

S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 472 (अ).—राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है :—

सं० आ० 107

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1977

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और 1974 की अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में तथा उत्तरवर्ती चार वित्तीय वर्षों में से प्रत्यक वित्तीय वर्ष में राज्यों द्वारा उधार लिए गए धन पर सदेय ब्याज मद्दें तथा उनके द्वारा उधार दिए गए धन पर प्राप्त ब्याज मद्दें राज्यों के राजस्वों पर शुद्ध भार निर्धारित कर चुकने पर, निम्नलिखित आदेश करते है, अर्थात् :—

1. इस आदेश का नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1977 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वाचन को को उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि वह केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन को लागू होता है।

3 (1) संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबन्धों के अनुसार, भारत की संचित निधि पर :—

(क) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के राजस्वों के सहायता अनुदानों के रूप में, 1974 की मार्च के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के ठीक अगले दिन आनुक्रमिक वित्तीय वर्षों के लिए, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट धनराशि 1977 की अप्रैल के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में प्रभारित की जाएगी ; और

(ख) पूर्वोक्त राज्यों में से प्रत्येक के राजस्वों के सहायता अनुदानों के रूप में, 1977 की मार्च के 31 वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के ठीक अगले दो आनुक्रमिक वित्तीय वर्षों के लिए, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट धनराशि 1978 की अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में प्रभारित की जाएगी।

सारणी

राज्य	रुपए करोड़ों में	
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश	4.41	9 59
आसाम	5 38	12 50
बिहार	11 33	24 29
हिमाचल प्रदेश	0.42	0.97
जम्मू-कश्मीर	7 41	21 91
केरल	3 58	9 61
मणिपुर	0 99	1.69
मेघालय	0 64	1 22
नागालैंड	1.02	1 66
उड़ीसा	8 90	13 76
राजस्थान	8.73	17 12
त्रिपुरा	0 58	1 23
उत्तर प्रदेश	8.65	20 55
पश्चिमी बंगाल	10 27	22.27

(2) 1977 की अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, और 1978 की अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन राज्यों के राजस्वों के सहायता अनुदानों के रूप में सदेय कोई भी धनराशि या धनराशियां, संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1974 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में उन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में राज्यों को सदेय धनराशि या धनराशियों के अतिरिक्त होगी।

बी० डी० जत्ती,

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति।

[स० फा० 19(3)/77-वि० 1]

एस० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977